सं. डब्ल्यू-02/0038/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)/एफटीएस-8019

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 22 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले सीपीएसई के केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0058/2016-डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा संख्या 3 और अनुलग्नक-II (क) और II (ख) जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को दर्शाया गया है, का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारियों को **दिनांक 01.01.2025** से देय महंगाई भत्ता मौजूदा दर **53%** से बढ़ाकर **55%** किया जाए।

2. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

3. ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया गया है।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

प्रफुल्ल
(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रफुल्ल
(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार